

कैदियों के संवैधानिक अधिकार

डॉ.मनीषा शर्मा

सहायक प्रोफेसर पर्यवेक्षक विधि विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़

ऋषभ फौजदार

शोध छात्र विधि विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़

Article/Interview: Received: 20/05/2026, Accepted: 27/05/2026, Published:30/05/2026.

D.O.I. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20510546>



© 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited.

[\(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

सारांश (Abstract): भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, परंतु जब कोई व्यक्ति कारागार में होता है तो उसके अधिकारों की स्थिति एक जटिल प्रश्न बन जाती है। यह शोध पत्र कैदियों के संवैधानिक अधिकारों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की विवेचना की गई है।

उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों का अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि कारावास की अवस्था में भी मनुष्य के आधारभूत गरिमा एवं जीवन के अधिकार का हनन नहीं हो सकता। जेल सुधार, विचाराधीन कैदियों की समस्याएँ, त्वरित सुनवाई का अधिकार एवं मानवोचित व्यवहार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस शोध का उद्देश्य यह बताना है कि कानूनी व्यवस्था को कैदियों के मूल अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।

मुख्य शब्द (Keywords): कैदी अधिकार, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, जेल सुधार, विचाराधीन बंदी, मानवाधिकार, उच्चतम न्यायालय

1. प्रस्तावना (Introduction): भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों को समाहित करता है जो प्रत्येक व्यक्ति को — चाहे वह स्वतंत्र हो या बंदी — प्रदान किए गए हैं। यह प्रश्न सदैव विधि जगत में विचारणीय रहा है कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से या कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कारावास दिया जाता है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों की सीमा क्या रहती है?

स्वतंत्रता का हरण दण्ड का एक मान्य रूप है, किंतु यह हरण सभी अधिकारों का विलोपन नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्थापित किया है कि कारागार की दीवारें किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा को समाप्त नहीं कर सकतीं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) जैसे ऐतिहासिक वादों में न्यायालय ने यह घोषित किया कि 'व्यक्ति की देह पर राज्य का अधिकार है, उसकी आत्मा पर नहीं।' इस शोध पत्र में हम भारत में कैदियों के संवैधानिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैधानिक प्रावधानों, न्यायिक घोषणाओं और व्यावहारिक चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में कैदियों के अधिकारों की अवधारणा का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल में कैदियों के साथ अत्यंत कठोर एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता था। 1894 का कारागार अधिनियम (Prisons Act, 1894) ब्रिटिश शासन का वह कानून था जो स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक लागू रहा। 1950 में संविधान लागू होने के बाद कैदियों के अधिकारों की व्याख्या नए परिप्रेक्ष्य में होने लगी। 1970 और 1980 के दशक में भारतीय न्यायपालिका ने एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीवन जीने के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग तथा मुल्ला समिति (1980) की रिपोर्टों ने जेल सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। 2016 में कारागार अधिनियम की समीक्षा एवं 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की जमानत के प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया।

3. संवैधानिक प्रावधान

3.1 अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। कैदियों के संदर्भ में यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि जेल में किसी भी कैदी के साथ जाति, धर्म,

लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कैदी को समान कानूनी संरक्षण का अधिकार है।

3.2 अनुच्छेद 20 — दोष-सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण: अनुच्छेद 20 तीन महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है:

- भूतलक्षी विधान (Ex-Post Facto Law) से संरक्षण — किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो कार्य करने के समय कानूनन अपराध नहीं था।
- दोहरे दंड से संरक्षण (Double Jeopardy) — एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा।
- स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा (Self-Incrimination)।

3.3 अनुच्छेद 21 — प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता: यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। न्यायालय ने इसकी व्याख्या में अत्यंत व्यापकता लाई है। अनुच्छेद 21 कहता है कि 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।' इस अनुच्छेद के अंतर्गत कैदियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- मानवोचित व्यवहार पाने का अधिकार
- त्वरित सुनवाई का अधिकार
- स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार
- पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं आवास का अधिकार
- विधिक सहायता का अधिकार
- शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार

3.4 अनुच्छेद 22 — गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण

अनुच्छेद 22 निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है: गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है; गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है; और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है।

4. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

4.1 सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978)

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि कारावास किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं करता। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि जेल की दीवारें संवैधानिक संरक्षण की सीमा नहीं बनातीं। इस निर्णय ने एकांत कारावास तथा हथकड़ी लगाने की प्रथा पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए।

4.2 हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979)

इस वाद ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को उजागर किया। बिहार की जेलों में वर्षों से बंद उन कैदियों की कहानी सामने आई जिन पर लगाए गए अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय वे जेल में काट चुके थे। न्यायालय ने घोषित किया कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।

4.3 फ्रांसिस मुलिन बनाम दिल्ली प्रशासन (1981)

इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार केवल पशुवत जीवन जीने तक सीमित नहीं है। मानवीय गरिमा के साथ जीना, आवश्यक सुविधाएँ, जैसे पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आश्रय तथा पठन-पाठन — ये सभी जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग हैं।

4.4 परम सिंह बनाम पंजाब राज्य (1992)

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जेलों में होने वाले यातना एवं अत्याचार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने कहा कि राज्य की अभिरक्षा में होने वाली किसी भी प्रकार की यातना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है और इसके लिए राज्य उत्तरदायी होगा।

4.5 डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)

इस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी एवं हिरासत के समय पालन किए जाने वाले 11 दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को सूचित करना, मेडिकल जाँच, विधिक सहायता का अधिकार तथा गिरफ्तारी का कारण बताना जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

5. जेल के अंदर कैदियों के विशिष्ट अधिकार

5.1 विधिक सहायता का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्धन एवं असहाय कैदियों को मुफ्त विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.2 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया है कि प्रत्येक कैदी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। जेल नियमावली के अंतर्गत प्रत्येक जेल में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। गंभीर बीमारी की स्थिति में बाहर अस्पताल में उपचार का प्रावधान भी है।

5.3 पैरोल एवं जमानत का अधिकार

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के प्रावधानों के अंतर्गत कैदियों को कुछ शर्तों के अधीन पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। विशेषकर परिवार में मृत्यु, विवाह अथवा गंभीर बीमारी जैसे मानवीय आधारों पर पैरोल का प्रावधान मानवाधिकार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.4 शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

आधुनिक दण्ड दर्शन में पुनर्वास पर विशेष बल दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कैदियों को शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करना जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है। कई राज्यों में जेल में पढ़ाई करते हुए डिग्री प्राप्त करने के प्रावधान हैं।

6. विचाराधीन बंदियों की समस्याएँ

भारत में जेलों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है विचाराधीन बंदियों की अत्यधिक संख्या। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार भारत की जेलों में बंद कुल कैदियों में लगभग 75-76% विचाराधीन कैदी होते हैं जिनके विरुद्ध अभी मुकदमा चल रहा होता है।

इस स्थिति के प्रमुख कारण हैं — न्यायालयों में मामलों का अत्यधिक बोझ, जमानत न मिल पाना, निर्धन कैदियों को विधिक सहायता का अभाव, और मुकदमों में अनावश्यक विलंब। उच्चतम न्यायालय ने संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) तथा अन्य वादों में बार-बार कहा है कि विचाराधीन कैदियों को आवश्यकता से अधिक समय तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विचाराधीन बंदी अधिकतम सजा का एक-तिहाई या आधा समय (मामले के अनुसार) काट चुका हो, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

7. जेल सुधार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक

7.1 संयुक्त राष्ट्र के मानक नियम

संयुक्त राष्ट्र के 'न्यूनतम मानक नियम' (Nelson Mandela Rules, 2015) के अंतर्गत कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों में कहा गया है कि कैदियों के साथ किसी भी प्रकार का क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

7.2 भारत में जेल सुधार के प्रयास

भारत में जेल सुधार के लिए विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने सिफारिशें दी हैं। मुल्ला समिति (1980-83), विधि आयोग की रिपोर्टें (78वीं, 177वीं), तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें उल्लेखनीय हैं। कुछ राज्यों ने अपनी जेल नीतियों में सुधार करते हुए खुली जेल, सामुदायिक सेवा, अर्ध-मुक्त कारागार जैसी व्यवस्थाएँ लागू की हैं।

8. महिला एवं किशोर बंदियों के विशेष अधिकार

8.1 महिला कैदियों के अधिकार

महिला कैदियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। जेल में बंद महिला कैदियों की तलाशी केवल महिला जेलकर्मी द्वारा ली जाएगी। गर्भवती महिला कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं और जन्म देने वाली माताओं के साथ उनके शिशुओं के आवास की व्यवस्था जेल नियमावली में है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक वादों में महिला कैदियों की सुरक्षा एवं सम्मान पर विशेष बल दिया है।

8.2 किशोर बंदी एवं किशोर न्याय

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को सामान्य जेल में नहीं रखा जा सकता। उन्हें 'प्रेक्षण गृह' या 'विशेष गृह' में रखा जाता है जहाँ उनके पुनर्वास, शिक्षा एवं मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

9. एकांत कारावास एवं फाँसी की प्रतीक्षा में बंद कैदी

एकांत कारावास (Solitary Confinement) की अत्यधिक कठोर सजा को उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) में न्यायालय ने कहा कि कठोर एकांत कारावास केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है।

मृत्युदण्ड पाए कैदियों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में कहा कि दया याचिका में अत्यधिक विलंब, एकांत कारावास, मानसिक अस्वस्थता आदि आधारों पर फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है।

10. व्यावहारिक चुनौतियाँ

संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के बावजूद जमीनी स्तर पर कैदियों के अधिकारों का क्रियान्वयन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

- जेलों में अत्यधिक भीड़ — भारतीय जेलों अपनी क्षमता से 115-120% अधिक भरी हुई हैं।
- अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ — शौचालय, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव।
- जेल कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार।
- विचाराधीन बंदियों को लंबे समय तक जेल में रखा जाना।
- कैदियों में कानूनी जागरूकता का अभाव।
- विधिक सहायता की व्यवस्था का कागज पर रहना।
- न्यायालयों में मामलों की अत्यधिक लंबितता।

11. सुझाव एवं सिफारिशें

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं:

- जेलों में CCTV कैमरे लगाए जाएँ तथा निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था हो।
- पैरोल, जमानत एवं पुनर्वास नीतियों को उदार एवं व्यावहारिक बनाया जाए।
- कारागार अधिनियम, 1894 के स्थान पर एक आधुनिक एवं मानवाधिकार-संगत कानून लागू किया जाए।
- जेल सुधार हेतु एक स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
- विचाराधीन बंदियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में त्वरित न्यायालय स्थापित किए जाएँ।
- जेलों में कानूनी साक्षरता शिविरों का नियमित आयोजन हो।
- विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिक सक्रिय एवं संसाधन संपन्न बनाया जाए।
- जेल कर्मियों को मानवाधिकार एवं संवैधानिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाए।

12. निष्कर्ष (Conclusion) : कैदियों के संवैधानिक अधिकारों का विषय केवल एक विधिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की नैतिकता एवं मानवीयता का प्रतिबिंब है। एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की पहचान यह है कि वह अपने सबसे कमजोर और हाशिये पर पड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

भारतीय उच्चतम न्यायालय ने दशकों में दिए गए अपने निर्णयों के माध्यम से कैदियों के अधिकारों की एक व्यापक संरचना खड़ी की है। परंतु व्यावहारिक धरातल पर यह संरचना अभी भी अधूरी है। जेलों में भीड़, यातना, दुर्व्यवहार, विचाराधीन बंदियों की दयनीय स्थिति — ये सब बताते हैं कि कानूनी प्रावधानों और जमीनी वास्तविकता के बीच एक बड़ी खाई है।

इस खाई को पाटना न केवल विधि की अपेक्षा है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता का भी यही तकाजा है। जब तक हम प्रत्येक बंदी को उसकी मानवीय गरिमा के साथ न्याय नहीं दे सकते, तब तक 'समता, स्वतंत्रता और न्याय' के संवैधानिक आदर्श अधूरे रहेंगे।

संदर्भ सूची (References)

1. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1978 SC 1675
2. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, AIR 1979 SC 1360
3. फ्रांसिस मुलिन बनाम दिल्ली प्रशासक, AIR 1981 SC 746
4. डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1997 SC 610
5. शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, (2014) 3 SCC 1
6. भारतीय संविधान — अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 39-A
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
8. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
9. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
10. मुल्ला समिति रिपोर्ट, 1983 — जेल सुधार पर
11. विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट — विचाराधीन बंदी
12. NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) — जेल सांख्यिकी रिपोर्ट, 2022
13. UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), 2015
14. उपेन्द्र बक्सी, Law and Poverty: Critical Essays, N.M. Tripathi, 1988
15. गौतम भाटिया, Offend, Shock or Disturb: Free Speech under the Indian Constitution, OUP, 2015s

Declaration by Author (s): "We hereby declare that this manuscript is our original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy." **डॉ.मनीषा शर्मा & ऋषभ फौजदार**